न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अमित कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्याः– 211/प्रा0पत्र/2019

1. मोहन लाल आयु 30 वर्ष आ0 स्व0 श्री परसराम जाति रेगर निवासी ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
2. हरिशंकर आयु 35 वर्ष आ0 स्व0 श्री परसराम जाति रेगर निवासी ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

वकील प्रार्थीगण :– श्री गिरधर कुमार सैन

अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 22/06/2022

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या नया 139 पुराना 135 की कृषि भूमि ख0स0 523 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खं0स0 523/3812 रकबा 6 बिस्वा कृषि भूमि वाके ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। इसी प्रकार ग्राम गोठडा में खाता संख्या नया 836 पुराना 846 की कृषि भूमि खं0स0 521 रकबा 17 बिस्वा, खं0स0 4064/520 रकबा 5 बीघा 5 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री परसराम उर्फ परसा आ0 देवा उर्फ देवलाल जाति रेगर के नाम राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज थी व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता परसराम के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी। प्रार्थीगण के पिता परसराम की मृत्यु के उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा फोती इन्तकाल खोले जाने पर पटवारी हल्का द्वारा मृतक परसराम आ0 देवा उर्फ देवलाल के विधिक वारिसान के सी नामों की प्रार्थीगण से कोई जानकारी न कर आस पास के पडोसियों से जानाकरी कर फोती इंतकाल खोल दिया गया जिस कारण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी हरिशंकर का नाम शंकर गलत रूप से दर्ज हो गया व प्रार्थी मोहनलाल का नाम बन्टी गलत रूप से दर्ज हो गया तथा प्रार्थीगण के पिता का सही नाम भी परसराम है न कि परसा जबकि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत रूप से परसा अंकित किया हुआ है जिसको सही किया जाकर परसा की जगह परसराम अंकित किया जाना न्यायोचित एवं अतिआवश्यक है। प्रार्थीगण की पिता का वास्तविक नाम परसराम है इस कारण प्रार्थीगण के नाम भी सरकारी दस्तावेजों में इसी रूप में अंकित है प्रार्थीगण के पिता परसराम का

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

करीब 15–16 वर्षो पूर्व निधान हो चुका है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमिया पूर्व में प्रार्थीगण के पिता स्व. परसराम के नाम बहैसियत गैर खातेदार दर्ज थी प्रार्थीगण के पिता परसराम की मृत्यु के उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा फोती इन्तकाल खोले जाने पर पटवारी हल्का द्वारा मृतक परसराम उर्फ परसा आ0 देवा उर्फ देवलाल के विधिक वारिसान के सही नामों की प्रार्थीगण से कोई जानकारी न कर आस पास के पडोसियों से जानकारी कर फोती इंतकाल खोल दिया गया जिस कारण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी हरिशंकर का नाम गलत रूप से शंकर दर्ज हो गया व प्रार्थी मोहनलाल का नाम गलत रूप से बन्टी दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम हरिशंकर व मोहनलाल है व सरकारी दस्तावेजों में भी प्रार्थीगण के यही नाम है इस कारण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी हरिशंकर का नाम शंकर की जगह हरिशंकर किया जाना तथा प्रार्थी मोहनलाल का नाम बन्टी की जगह मोहनलाल किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीगण जब दिनांक 25.11.2019 को उक्त भूमियों की राजस्व जमाबन्दी व अन्य दस्तावेज लेकर के0सी0सी निकलवाने बैंक में गया तो बैंक कर्मचारियों ने राजस्व जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज होने की वजह से के0सी0सी0 स्वीकृत करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तब प्रार्थीगण को राजस्व जमाबन्दी में अपना नाम गलत रूप सं हरिशंकर की जगह शंकर तथा प्रार्थी मोहनलाल का नाम मोहनलाल की जगह गलत रूप से बन्टी दर्ज होने की जानकारी हुई इस कारण प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क निर्धारित न्याय शुल्क के साथमय तलबाना नोटिस श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है। अन्य तथ्य बवक्त बहस श्रीमान की आज्ञा से मौखिक निवेदन कर दिये जावेगे।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोठडा में विस्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 836 पुराना 846 की राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थीगण हरिशंकर व मोहनलाल का नाम शंकर की जगह हरिशंकर व बन्टी की जगह मोहनलाल तथा खाता संख्या नया 139 पुराना 145 की राजस्व जमाबंदी में प्रार्थीगण हरिशंकर व मोहनलाल का नाम शंकर की जगह हरिशंकर तथा बन्टी की जगह मोहनलाल व उनके पिता का नाम परसा की जगल परसराम का अंकन किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित होाा वह भी प्रार्थीगण को अप्रार्थी से दिलावाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3, 4 व 5 प्रार्थीगण स्वयं सिद्व करे। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6, 7, 8, 9 व 10 कानूनी प्रकिया के बिन्दु है। माननीय न्यायालय प्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी नम्बर 521, 4064/520 कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा में प्रार्थीगणों के पिता का नाम परसराम दर्ज है जो खाता संख्या 139 की खसरा संख्या 523, 523/3812 कुल किता 2 रकबा 11.02 में भी परसा के स्थान पर परसराम शुद्व किया जाना उचित है। इसी प्रकार शंकर के बजाय संलग्न दस्तावेजों से हरिशंकर किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित है। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में बहस सुनी जाकर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता का नाम परसा के स्थान पर परसराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम शंकर के स्थान पर हरिशंकर व बन्टी के स्थान पर मोहनलाल शुद्व दर्ज किया जावें।

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत ड्राईविंग लांईसेंस नम्बर आर0जे0 08/डी0एल0सी0/11/68989 व आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या बी0के0एन0पी0आर03468आर0 में नाम मोहनलाल पिता परसराम दर्ज है। प्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या डी0ओ0ओ0पी0आर02958एच, आधार कार्ड संख्या 392144995007 व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गोठडा में नाम हरिशंकर पिता परसराम दर्ज है। जवाब पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रस्तुत मजमेआम रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 836 ग्राम गोठडा पं0म0 गोठडा में दर्ज प्रार्थीगण के नाम शंकर व बन्टी के स्थान पर हरिशंकार व मोहनलाल पिता परसराम एवं खाता संख्या 139 ग्राम गोठडा प0म0 गोठडा में दर्ज प्रार्थीगण के नाम शंकर व बन्टी पिता परसा के स्थान पर हरिशंकर, मोहनलाल पिता परसराम शुद्व दर्ज किये जाने के आदेष दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरींर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली [illegible])